न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1036–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–3–2017 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) प्रकरण कमांक 7/अ–68/अपील/2016–17.

मदन सिंह पिता मोती सिंह
निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर
हल्का पटवरी क. 18
बावड़ीखेड़ा (जागीर)
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़ .....अनावेदक

श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम वावड़ीखेड़ा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 233/2 रकबा 0.012 में से 60 मीटर भूमि पर आवेदक द्वारा अतिकमण किये जाने संबंधी रिपोर्ट पटवारी हल्का नम्बर 46 द्वारा तहसीलदार, खिचलीपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–68/2015–16 दर्ज कर दिनांक 1–7–16 को आदेश पारित आवेदक पर रूपये 5000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते

हुए प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खिचलीपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–9–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किया जाकर स्थगन की मांग की गई । अपर कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–7–2016 को स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया एवं दिनांक 7–3–2017 को अंतिम आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से सात दिवस में बेदखल किये जाने तथा बेदखल नहीं होने की स्थिति में सिविल जेल की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व आवेदक को कोई सूचना नहीं दिया गया है, न ही प्रश्नाधीन भूमि की नाप तौल की गई है और न ही मौके का पंचनामा बनाया गया है । अतः पटवारी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध बिना प्रकरण दर्ज किये और इश्तहार का प्रकाशन किये, बिना किसी ग्रामवासी शिकायत के आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है ।

(2) आवेदक को उसके बचाव कथन एवं समर्थन में ग्रामवासियों के कथन लिये जाने हेतु प्रकरण में पेशी नियत नहीं की गई है, जबकि विधि का सिद्धान्त है कि जब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा, तब तक कि संबंधित व्यक्ति को बचाव साक्ष्य कथन न हो जाये ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अपने कथन में यह उल्लेख नहीं किया है कि आवेदक की आधिपत्य वाली गुमटी एवं दीवारों वाली भूमि के कारण आसपास के निवासियों को आने–जाने एवं निस्तार हेतु परेशानी हो रही है ।

(4) हल्का पटवारी ने अपने बयान के प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं रिपोर्ट सिद्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में

यह भी कहा है कि उसके द्वारा रिपोर्ट देने के पूर्व उक्त स्थान का मौके का नक्शा नहीं बनाया और न ही ऐसी निशानी इस तरह कायम की है, जिससे सिद्ध हो सके कि आवेदक का अवैध कब्जा है, जिस पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित करने में गम्भीर वैधानिक भूल की है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–7–2016 को आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, अतः अपर कलेक्टर को स्थगन के आवेदन पत्र पर आदेश पारित करना चाहिए था, न कि मूल अपील प्रकरण के संबंध में, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अपील मानते हुए अधिकारों से हटकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) अपर कलेक्टर द्वारा तथ्यों के विपरीत एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर को केवल निगरानी सुनने की अधिकारिता है, अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए मूल अपील प्रकरण कमांक 74/अ–68/16–17 में गुण–दोष पर सुनवाई कर आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है । अपर कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया है, जबकि अपर कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं है । स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रथम अपील में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–3–2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी, खिचलीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर